न्यायालय जिला कलेक्टर,टोंक

(डॉ. सौम्या झा,आई0ए0एस0द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 02/2012
प्रविष्टि दिनांक 20.03.2012

नन्दकिशोर पुत्र किशनलाल जाति माली निवासी सूंथडा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—निगरानीकर्ता

बनाम

1—श्यामा नटनी पुत्री मदन लाल नट जाति नट निवासी महाराजकंवरपुरा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
2—मासूम पुत्र मंजूर अहमद जाति मुसलमान निवासी उनियारा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
3—देवन्ता पत्नि त्रिलोक चन्द महाजन जैन निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
4—त्रिलोक पुत्र लादू लाल जैन निवासी सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0
5—ग्राम पंचायत सूथडा जरिये सचिव ग्राम पंचायत सूथडा तहसील उनियारा जिला टोंक राज0

—प्रतिपक्षीगण

निगरानी विरूद्व आज्ञा ग्राम पंचायत सूथडा दिनांक 19.10.1989 अन्तर्गत धारा 97 राज.पंचायत अधिनियम

उपस्थिति : (1) श्री छोटे लाल सोलकी,अभिभाषक निगरानीकर्ता
(2) श्री अशोक कासलीवाल,अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1,3 व 5

निर्णय **दिनांक** 09.10.2024

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र निगरानी का सार इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत सूंथडा पंचायत समिति अलीगढ द्वारा प्रतिपक्षी संख्या 1 के पक्ष मे दिनांक 19.10.1989 को आबादी भूमि का विक्रय—विलेख(पट्टा) वाके ग्राम सूंथडा मे 1350 वर्गफीट भूमि का जारी किया है। निगरानीकर्ता ने सरपंच ग्राम पंचायत सूंथडा के उक्त आदेश से व्यथित होकर आदेश को खिलाफ कानून बताते हुए निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एंव तलबी प्रतिपक्षी जरिए सम्मन की गई एंव ग्राम पंचायत सूंथडा से पट्टे की पत्रावली तलब की गई। ग्राम विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सूंथडा पंचायत समिति उनियारा ने उनके पत्र क्रमांक 10 दिनांक 13.03.2024 से अवगत कराया है कि उक्त पट्टे से सबंधित पत्रावली एंव दस्तावेजात कार्यालय ग्राम पंचायत मे उपलब्ध नही है। दिनांक 15.09.2016 को अप्रार्थी संख्या 4 का नाम डिलिट किया गया तथा दिनांक 14.09.2016 को अप्रार्थी संख्या 2 के विरूद्व एक

जिला कलेक्टर
टोंक

तरफा कार्यवाही की गई। प्रार्थना पत्र धारा 5 लिमि. एक्ट पर अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अभिभाषकगण की प्रकरण मे अन्तिम बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकर्ता ने निगरानी में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी संख्या 5 द्वारा दिनांक 21.10.1989 को आबादी भूमि मे दो बैनामे 121–121 रूपये मे ग्राम पंचायत सूंथडा की ओर से पंचायत के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 19.10.1989 के अनुसरण मे क्रमशः रसीद संख्या 96 व 97 के द्वारा नॉन रिवीजनर संख्या 1 व 2 के हक मे तत्कालीन सरपंच बिरधीचन्द के हस्ताक्षर से जारी किये गये है। आबादी भूमि के विक्रय विलेख की पुश्त पर विक्रय की गयी भूमि का मानचित्र अंकित किया गया है। दोनो विक्रय विलेख की पुश्त पर अंकित मानचित्र की सीमाऐ दर्शायी है। वादग्रस्त प्लाट नं.12 को नॉन रिवीजनर संख्या 1 ने दिनांक 29.11.2001 को 6501 रूपये मे 10 रूपये के स्टाम्प पर नॉन रिवीजनर संख्या 3 को विक्रय करना बताया है जो तत्कालीन सरपंच बिरधीचन्द की पुत्री है। ग्राम पंचायत सूंथडा द्वारा दिनांक 21.10.1989 को वादग्रस्त बैनामे ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 19.10.1989 के आधार पर नॉनरिवीजनर संख्या 1 व 2 के हक मे तत्कालीन सरपंच द्वारा जारी किये गये है,उक्त जारी किये गये बैनामे के पट्टे फर्जी व बनावटी है,जिनका इन्द्राज ग्राम पंचायत के रिकार्ड मे नही है। तथाकथित पट्टे फर्जी व बनावटी है जो तत्कालीन सरपंच ने अपनी बेटी व जवाई नॉन रिवीजनर संख्या 3 व 4 के हक मे स्टाम्प पर क्रय करना अंकित किया है। ग्राम पंचायत एक स्वायत शासी संस्था है एंव उसके हर कार्य का विवरण पंचायत के रिकार्ड मे होता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी किये गये पट्टे की भूमि आबादी भूमि नही है। ग्राम पंचायत को सिर्फ आबादी भूमि मे ही पट्टा जारी करना का अधिकार है। विकास अधिकारी ग्राम पंचायत सूंथडा ने भी अपने पत्र क्रमांक 10 दिनांक 13.03.2024 से नॉन रिवीजनर संख्या 1 के पट्टे संबंधी रिकार्ड/दस्तावेजात ग्राम पंचायत सूंथडा मे नही होना अंकित किया है। तहसीलदार उनियारा ने भी नॉन रिवीजनर संख्या 1 को जारी किये गये पट्टे की भूमि को सिवायचक भूमि माना है। विवादित भूमि पर रिवीजनरकर्ता के उनके पूर्वजो के समय से खलीयान होते आये है एंव बाडे बने हुये है तथा अपनी आराजी मे आने–जाने का एक मात्र रास्ता भी उसी मे से होकर है,जिसे हडपने की नियम से सारा फर्जी वाडा किया गया है। रिवीजनकर्ता उक्त विक्रय विलेख बैनामो की जानकारी होने से व उनकी नकले प्राप्त करने के पश्चात अन्दर मियाद निगरानी प्रस्तुत की जा रही है,फिर भी देरी को कन्डोन किये जाने हेतु दफा 5 का प्रार्थना पत्र पृथक से पेश किया जा रही है। अतः ग्राम पंचायत सूंथडा द्वारा जारी पट्टा दिनांक 19.10.1989 को निरस्त किया जाना न्यायसंगत है।

विद्वान अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या 1,3 व 5 ने जवाबी बहस मे कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत सूंथडा द्वारा दिनांक 19.10.1989 को उक्त पट्टा जारी किया गया है,परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा वर्ष 2012 में इसे निरस्त कराने हेतु निगरानी पेश की है। निगरानीकर्ता को उक्त निगरानी पेश करने का कोई अधिकार नहीं है। नियमानुसार निगरानी धारा 97 मे चलने योग्य नही है ओर ना ही धारा 97 मे कलेक्टर को पट्टा निरस्त करने का अधिकार है। रिवीजन मे दो पट्टो का उल्लेख/वर्णन किया गया है,परन्तु निगरानीकर्ता द्वारा एक ही रिवीजन पेश की है। निगरानी 22 वर्ष बाद प्रस्तुत की गई है। पट्टा फर्जी हो इस बाबत कोई केस धारा 420 के तहत रजिस्टर नही है। निगरानीकर्ता का क्या अधिकार है। निगरानीकर्ता किस प्रकार से पार्टी है। कब्जा होने से कोई अधिकार

जिला कलेक्टर
टोंक

सिद्व नही होता है। ग्राम पंचायत ने कोई रिकॉर्ड नहीं भिजवाया है,लेकिन ऐसा भी कोई वर्णन नहीं किया हैं कि यह पट्टा अवैधानिक या फर्जी है। उक्त पट्टा मान्य है जब तक कि इसे पंचायत द्वारा अवैध घोषित कर संबंधित पुलिस थाने मे प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं कराई जाती। निगरानी कानूनन चलने योग्य नहीं है। ग्राम पंचायत सूंथडा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाये जाकर पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानी निरस्त योग्य है।

हमने विद्वान अभिभाषकगण कि बहस पर मनन किया तथा पत्रावली मे उपलब्ध पट्टे कि छायाप्रति का अवलोकन किया। ग्राम पंचायत सूंथडा पंचायत समिति उनियारा द्वारा राजस्थान पंचायत एक्ट 1953 कर धारा 87 के तहत आबादी भूमि का विक्रय–विलेख (पट्टा) दिनांक 19.10.1989 को जारी किया गया है,जिसका माप पूर्व–पश्चिम मे 45 फीट,उत्तर–दक्षिणमे 30 फीट क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट श्यामा नटनी पुत्री मदनलाल नट निवासी महाराज कंवरपुरा के हक मे जारी किया गया है।

अभिभाषक प्रतिपक्षी संख्या–1 का कथन है कि ग्राम पंचायत ने कोई रिकॉर्ड नहीं भिजवाया है,लेकिन ऐसा भी कोई वर्णन नहीं किया हैं कि यह पट्टा अवैधानिक या फर्जी है।पट्टा फर्जी हो इस बाबत कोई केस धारा 420 के तहत रजिस्टर नही है, परन्तु प्रकरण/निगरानी मे न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार उनियारा से वादग्रस्त भू–खण्ड/पट्टा ग्राम सूंथडा की आबादी भूमि मे है अथवा सिवायचक भूमि मे कि मौका रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार उनियारा ने अपने पत्र क्रमांक 2942 दिनांक 10.09.2024 से रिपोर्ट प्रेषित कर अंकित किया है कि विवादित भूमि ग्राम सूंथडा के आराजी खसरा नम्बर 2697/936 मे स्थित है। मुताबिक राजस्व रिकार्ड के आराजी खसरा नम्बर 2697/936 रकबा 0.30 है. भूमि की किस्म वर्तमान मे बजड सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। विवादित भूमि मौके पर वर्तमान मे खाली पडी हुई है। मौके पर कोई कच्चा पक्का–निर्माण नही है। उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत सूंथडा पंचायत समिति उनियारा द्वारा दिनांक 19.10.1989 को जारी किया गया पट्टा आबादी भूमि मे ना होकर सिवायचक भूमि मे जारी किया गया है। ऐसी स्थिति मे सरपंच ग्राम पंचायत सूंथडा पंचायत समिति अलीगढ द्वारा पारित निर्णय मे हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत होता है।

फलतः निगरानी निगरानीकर्ता स्वीकार कर सरपंच ग्राम पंचायत सूंथडा पंचायत समिति उनियारा द्वारा दिनांक 19.10.1989 को प्रतिपक्षी संख्या–1 के हक मे जारी किये गये पट्टे को निरस्त किया जाता है और तहसीलदार उनियारा को निर्देशित किया जाता है कि आराजी खसरा नम्बर 2697/936 रकबा 0.30 है. वाके ग्राम सूंथडा के संबंध मे राज.भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नियमानुसार कार्यवाही करे। निर्णय कि प्रति तहसीलदार उनियारा को भी प्रेषित कि जावे। निगरानीकर्ता प्रतिपक्षी संख्या–2 के विरूद्व नियमानुसार न्यायालय हाजा मे पृथक से निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वंतत्र है।

निर्णय आज दिनांक 09.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ.सौम्या झा)
जिला कलेक्टर, टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)